

## प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

### अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/71255/BJN/BIJNOR/427/CFO

दिनांक: 10-01-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **R R MORARKA PUBLIC SCHOOL AT DWARIKESH NAGAR TEH NAGINA DISTT BIJNOR** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **-,NAJIBABAD TO NAGINA ROAD,DWARIKESH NAGAR** तहसील - **NAGINA** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	3	0	12.50 mt.
BLOCK B	2	0	8.70 mt.
BLOCK C	2	0	8.25 mt.

तथा प्लॉट एरिया **12626.20 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **R R MORARKA PUBLIC SCHOOL AT DWARIKESH NAGAR TEH NAGINA DISTT BIJNOR** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **12-01-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **S S SHEKHAWAT salilarya@gmail.com 9412218404** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **17-01-2026** से **16-01-2031** तक **5** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

**Note :** एफएसएसओ द्वारा अपलोड मानचित्र/अभिलेखों का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो उक्त भवन में NBC एवं उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024 के अनुसार अग्निसुरक्षा व्यवस्थायें कार्यशील दशा में स्थापित पाई गयी। विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें तथा फायर उपकरणों का ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से करायी जाए। एफएसएसओ की संस्तुति आख्या के आधार पर नवीनीकरण निर्गत।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)  
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(Rajeev Kumar Pandey)

[CE1C216539CD27F8EC5D8E75C5BA91CD8952485C]

17-01-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 17-01-2026  
स्थान : BIJNOR